न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 108/2023

उनवान

रोडू राम पुत्र गोपी लाल जाति माली निवासी माली मौहल्ला रामसर तहसील नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री शिव प्रसाद पाराशर

बनाम

1. अनीता पुत्री मिलाप,
2. कमलकिशोर पुत्र मिलाप,
3. पुजा पुत्री मिलाप,
4. मिठ्ठू पत्नि मिलाप,
5. राहुल पुत्र मिलाप समस्त जातिगण माली निवासीगण रामसर तहसील नसीराबाद,
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 5 जरियें अधिवक्ता श्री महावीर शर्मा
6 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :– 22.7.24

-: आदेश :-

प्रार्थी ने जरियें अधिवक्ता उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के वंर्किग खसरा नम्बर 6372 के हाल खसरा नम्बर 8641 रकबा 0.71 की आराजी प्रार्थी के पिता गोपी पुत्र घीसा ने जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 25.01.1975 को धन्ना पुत्र सांवल से कय कर मौके पर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 से 2034 में भी आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के पिता का कब्जा सिद्व होता है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थी के पिता अनपढ होने के कारण विकय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में नही करवा सके। जिस कारण हाल राजस्व अभिलेख में उक्त असराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है व भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पावंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा जवाबकर्ता की पुश्तैनी स्वामित्व की है। जवाबकर्ता के पूर्वजो द्वारा उक्त [illegible] बेचान कभी भी नही किया गया है। अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र फर्जी व कूटरचित है। प्रार्थी द्वारा उक्त [illegible] के आधार पर 39 वर्ष बाद वाद पेश किया है। वाद मियाद बाहर है। विलम्ब का कोई कारण भी नही बताया गया है। अतः आवेदन पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:16:16 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा वर्तमान राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 6372 रकबा 4–7–0 है, जो वंर्किग जमाबंदी में मिलापचन्द पुत्र धन्ना के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। किन्तु है। विकय दिनांक को उक्त आराजी भू संशोधन जमाबंदी में खातेदारी दर्ज थी व वर्तमान में भी खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032–2034 में उक्त आराजी पर प्रार्थी के पिता कब्जा अंकित है। मिलापचन्द के पिता धन्ना द्वारा उक्त अराजी जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 25.01.1975 को प्रार्थी के पिता गोपी पुत्र घीसा को बैचान कर दी। अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त विकय पत्र फर्जी है किन्तु विकय पत्र पंजीकृत होने से इस स्तर पर उसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा 39 वर्ष बाद उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। किन्तु खातेदारी उद्घोषणा के वाद की कोई मियाद नही होती है। प्रार्थी के पिता अनपढ होने के कारण पूर्व में विकय पत्र की पालना नही करवायी गयी। भूमि पर उभयपक्ष अपना–अपना कब्जा मानते है। किन्तु कब्जे व अन्य तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही निर्धारित किये जायेगे। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किये है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थी के पिता की कयशुदा बतायी गयी है। व अप्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 उक्त आराजी का आगे हस्तांतरण करते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक आराजी मुतनाजा का संरक्षण आवश्यक है। शेष तथ्यो का गुणावगुण पर निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8641 रकबा 0.71 पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। किसी प्रकार का हसतांतरण नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:16:16 IST
Reason: SelfAttested